22

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

निगरानी 2483-PBR-15

मुकेश भार्गव, अभि०
3-8-15
प्रस्तुत

3-8-15

मुकेश भार्गव
3-8-15 एडवोकेट
ग्वालियर

केहरीसिंह पुत्र रघुराजसिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम खरैह, तहसील बदरवास
जिला शिवपुरी म0प्र0 --- आवेदन

बनाम

1. ज़ितेन्द्र सिंह पुत्र युधिष्ठर सिंह,
2. योगेन्द्र सिंह पुत्र युधिष्ठर सिंह,

निवासी ग्राम खरैह, तहसील बदरवास,
जिला शिवपुरी म0प्र0

--- अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/3013-14/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टया ही अपास्त योग्य है।

2. यहकि, ग्राम खरैह, तहसील बदरवास में स्थिति भूमि सर्वे नं.277 रकवा 0.18 है. एवं सर्वे नं.293 रकवा 0.13 है. भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदक है। आवेदक ने तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पेश किया कि आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर अनावेदकगण ने अवैध मकान बनाकर एवं बाउण्ड्री पर अवैध कब्जा कर लिया है। कब्जा वापिस दिलाये जाने

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./2483/पीबीआर/2015 जिला शिवपुरी

केहरी सिंह विरूद्ध जितेन्द्र सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी कोलारस, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 08/2013-14/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 28/4/15 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	